राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
National Human Rights Commission

"महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिन्दी लेखन पुरस्कार योजना–नियमावली"

"Rules for Mahatma Gandhi Biennial Hindi Writing Award Scheme"

मानव अधिकार भवन
Manav Adhikar Bhawan
ब्लॉक–सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई. एन. ए.,
Block-C, G.P.O. Complex, I.N.A,
नई दिल्ली–110023
New Delhi-110023
दूरभाष संख्या / **Telephone No. : 011-24663310**
वेबसाइट / Website : www.nhrc.nic.in

Objective

The main objective of the Scheme is to encourage original writing in Hindi on various subjects of Human Rights. This will help in creating awareness of human rights as well as developing Unity at National and Individual level within the country.

Various subjects pertaning to Human Rights identified for the purpose are as under :-

- Human Rights and Juvenile Reformatory Institutions
- Culture and Human Rights
- Human Rights and Disability
- Human Rights and Women
- Human Rights & terrorism
- Human Rights and the Youths
- Human Rights and Communal Problems
- Human Rights and Environment
- Human Rights and Consumer Culture
- Human Rights & NGO's
- Human Rights and Journalism
- Human Rights and Child Prostitution
- Human Rights and Child Exploitation
- Human Rights and Senior Citizens
- Human Rights and Education
- Human Rights and Democracy
- Human Rights and Tribal Society
- Right to Information and Human Rights
- Human Rights and People awareness
- Human Rights and Social Institutions
- Human Rights and Police
- Human Rights and Jails
- Judiciary, Executive and Human Rights
- Human Rights and Child Marriage
- Human Rights and Peoples' Welfare
- Human Rights and Child Labour
- Human Rights and Bonded Labour
- Human Rights and Mental Hospitals
- Human Rights and Food Security
- Human Rights and International Convention
- Social Justice, Administration & Human Rights
- Human Rights and Development
- Human Rights and Health Services
- Human Rights and Justice
- Human Rights and Good Governnance
- Human Rights and Panchayati Raj
- Literature, Society and Human Rights
- Language and Human Rights
- Rights & Duties
- Human Rights & Media

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों से संबंधित विविध विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना होगा। इससे देश में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं भावनात्मक स्तर पर एकता स्थापित करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

इस प्रयोजन के लिए मानव अधिकारों से संबंधित अभिज्ञात विषयों की सूची नीचे दी गई है :–

- मानव अधिकार तथा बाल सुधारात्मक संस्थाएँ
- संस्कृति एवं मानव अधिकार
- मानव अधिकार एवं विकलांगता
- मानव अधिकार एवं महिलाएँ
- मानव अधिकार तथा आतंकवाद
- मानव अधिकार एवं युवा वर्ग
- मानव अधिकार एवं सांप्रदायिक समस्याएँ
- मानव अधिकार एवं पर्यावरण
- मानव अधिकार एवं उपभोक्ता संस्कृति
- मानव अधिकार एवं गैर सरकारी संगठन
- मानव अधिकार एवं पत्रकारिता
- मानव अधिकार एवं बाल–वेश्यावृत्ति
- मानव अधिकार एवं बाल शोषण
- मानव अधिकार एवं वृद्धजन
- मानव अधिकार एवं शिक्षा
- मानव अधिकार एवं लोकतंत्र
- मानव अधिकार और आदिवासी समाज
- सूचना का अधिकार तथा मानव अधिकार
- मानव अधिकार तथा लोक जागरूकता
- मानव अधिकार एवं सामाजिक संस्थाएँ
- मानव अधिकार एवं पुलिस
- मानव अधिकार एवं कारागार
- न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा मानव अधिकार
- मानव अधिकार एवं बाल विवाह
- मानव अधिकार एवं जनकल्याण
- मानव अधिकार एवं बाल श्रम
- मानव अधिकार एवं बँधुआ श्रमिक
- मानव अधिकार एवं मनोरोग चिकित्सालय
- मानव अधिकार एवं खाद्य सुरक्षा
- मानव अधिकार और अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद
- सामाजिक न्याय, प्रशासन तथा मानव अधिकार
- मानव अधिकार एवं विकास
- मानव अधिकार एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- मानव अधिकार एवं न्याय प्रणाली
- मानव अधिकार एवं सुशासन
- मानव अधिकार और पंचायती राज
- साहित्य, समाज तथा मानव अधिकार
- भाषा एवं मानव अधिकार
- अधिकार तथा कर्त्तव्य
- मानव अधिकार एवं मीडिया

The above topics relating to Human Rights can be depicted in any form of literature like Essay, Poetry, Story, Drama, Novel etc. Apart from the above mentioned subejcts books/manuscripts written on other such topics relating to Human Rights can also be considered.

★ Details of Awards

Awards would be presented as per the detail given below on the recommendation based on the quality of books/Manuscripts by an Evaluation Committee and a High Level Selection Committee constituted by the Commission for this purpose.

(A) Original Category

First Prize – 75,000/-
Second Prize – 50,000/-
Third Prize – 40,000/-

(B) Translation Category

First Prize – 50,000/-
Second Prize – 40,000/-
Third Prize –30,000/-

★ Eligibility

- Any person who is a citizen of India can send his entry or can propose for any entry under the scheme.
- A fresh collection of writings published earlier in book form, or revised editions of books published earlier, are not eligible for Award. However, if at least 75% of the work included in a collection has been published for the first time in book form, it can be considered for Award.
- The Officers/Staff of the National Human Rights Commission and their dependents shall also be eligible to participate in this Scheme, but the books/manuscripts/Translation written in Hindi by the employees of the NHRC shall be judged with keeping in view the special facilities available to them.
- Entries received under the scheme shall consist of at least 30,000 words. In case there are outstanding contributions, which fall a little short of 30,000 words, the High Level Selection Committee shall have the authority to select such contributions also.
- Any original writing book/manuscript/Translated book, which has been awarded or has received any financial assistance under any other scheme of Government of India or of any State Government or of Autonomous Body, shall not be considered under this scheme.
- Members of the Evaluation Committee and the High Level Selection Committee shall not be eligible to participate in the Scheme during their tenure of membership.
- Recognized literary organizations, journalists & writers will be requested to sent their recommendations for the award in the prescribed form, which should not be more than three.

मानव अधिकारों से संबंधित उपर्युक्त विषयों को साहित्य की विविध विधाओं, यथा–निबंध, कविता, कहानी, नाटक अथवा उपन्यास आदि के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त मानव अधिकारों से संबंधित अन्य विषयों में लिखी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों पर भी विचार किया जा सकता है।

★ **पुरस्कारों का विवरण**

आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति तथा उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा/गुणवत्ता के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे :–

(क) **मौलिक श्रेणी**

प्रथम पुरस्कार – 75,000/– रूपये
द्वितीय पुरस्कार – 50,000/– रूपये
तृतीय पुरस्कार – 40,000/– रूपये

(ख) **अनूदित श्रेणी**

प्रथम पुरस्कार – 50,000/– रूपये
द्वितीय पुरस्कार – 40,000/– रूपये
तृतीय पुरस्कार – 30,000/– रूपये

★ **पात्रता**

- योजना के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक अपनी प्रविष्टि भेज सकता है अथवा किसी प्रविष्टि की सिफारिश कर सकता है।
- पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की रचनाओं से तैयार नया संग्रह अथवा पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे। तथापि पुस्तक में शामिल रचनाओं का 75 प्रतिशत भाग यदि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो उस स्थिति में वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके आश्रित भी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन उनके द्वारा हिंदी में लिखी पुस्तकों/पांडुलिपियों/अनुवाद को उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आंका जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी पुस्तकें/पांडुलिपियां (मूल अथवा अनूदित) में कम से कम 30,000 शब्द होने चाहिए। प्राप्त किसी उत्कृष्ट कृति में निहित शब्दों की संख्या 30,000 से किंचित न्यून होने पर उच्चस्तरीय चयन समिति उसका चयन करने के लिए प्राधिकृत होगी।
- ऐसी कोई पुस्तकें/पांडुलिपियां/अनूदित कृतियां जिसको भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार अथवा वित्तीय सहायता मिली हो, वह इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।
- मूल्यांकन समिति तथा उच्चस्तरीय चयन समिति के सदस्यों द्वारा लिखी पुस्तक, उनकी सदस्यता अवधि के दौरान विचारणीय नहीं होगी।
- योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त साहित्यिक संस्थाओं, पत्रकारों एवं लेखकों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे पुरस्कार हेतु अपनी संस्तुतियाँ निर्धारित फार्म में भेजें, जो तीन से अधिक न हों।

- After being awarded, the writer/translator will not be awarded for next 10 years under the scheme.
- One copy of book/manuscript/Translation is to be sent for the scheme.
- A detailed advertisement regarding the scheme shall be published in the leading Hindi and English Newspapers and some leading Regional Newspapers through DAVP.
- Entries received after the expiry of last date shall not be considered.
- Books submitted as entries to the Commission shall not be returned however manuscripts would be returned.
- If there are two or more contenders for the same prize, the prize will be distributed among those contenders.
- The Author(s) shall enjoy the copyright on his/their books/manuscripts submitted to the Commission for the Award Scheme.
- In case of translation of a book in other Indian Languages or English into Hindi, a certificate of permission from the original author of the book must be produced along with the application.
- Quality research thesis/dissertation may be accepted under this scheme.
- The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be considered by a three-member Executive Board.
- A book shall be disqualified for the award if it is established to the satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the author.
- The Commission reserves the right to decide whether or not to give an award for a book/manuscript depending on the recommendation of the Evaluation Committee and the Selection Committee.
- In the event of the death of an award-winning writer before conferment of the award, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir.
- In special case, Commission reserves the right to relax any of the provision of the rules mentioned here.

Procedure for sending the Entries

Entries shall be sent along with a copy of the book/manuscript/Translation to the Assistant Director (Official Language), National Human Rights Commission, Manav Adhikar Bhawan, Block-C, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023 in the prescribed application form (two copies) (available free of cost) in duplicate by **30th June, 2015**.

☆ **Declaration of Results**

The decision of the NHRC in connection with any work shall be final and binding. The result will be communicated to the authors and will also be declared through the Press. No correspondence in this regard shall be entertained.

- योजना के अंतर्गत किसी लेखक/अनुवादक को पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् अगले 10 वर्षों तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत रचना (पुस्तक/पांडुलिपि/अनुवाद) की एक प्रति भेजनी होगी।
- योजना का विस्तृत विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 के माध्यम से हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ–साथ प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा।
- अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियाँ विचारणीय नहीं होंगी।
- आयोग को प्रविष्टियों के रूप में दी गई पुस्तकों को वापस नहीं लौटाया जाएगा तथापि पांडुलिपियाँ लौटा दी जाएंगी।
- एक पुरस्कार के लिए यदि दो या दो से अधिक दावेदार हों तो पुरस्कार राशि उन लेखकों के बीच बराबर से बांट दी जाएगी।
- पुरस्कार हेतु आयोग को भेजी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों पर सर्वाधिकार (कॉपीराइट) उनके लेखक/लेखकों का होगा।
- अन्य भारतीय भाषाओं अथवा अंग्रेजी से हिन्दी में पुस्तकों के अनुवाद के मामले में आवेदन पत्र के साथ पुस्तक के मूल लेखक का अनुमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- योजना के अंतर्गत स्तरीय शोध प्रबंध/लघुशोध प्रबंध स्वीकार्य की जा सकती है।
- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक श्रेणी के लिए एक त्रि–सदस्यीय चयन समिति होगी।
- ऐसी पुस्तक/पांडुलिपि पुरस्कार के अयोग्य होगी जिसके संबंध में उच्चस्तरीय चयन समिति को विश्वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।
- आयोग को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि मूल्यांकन समिति और उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर किसी पुस्तक/पांडुलिपि को पुरस्कार दे या ना दे।
- यदि पुरस्कार प्रदान किए जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसका पति, पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जाएगा।
- आयोग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान में विशेष परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार होगा।

★ प्रविष्टियाँ भेजने का तरीका

प्रविष्टियाँ निर्धारित आवदेन पत्र (निःशुल्क), दो प्रतियों में भरकर प्रविष्टि की एक प्रति के साथ सहायक निदेशक (राजभाषा), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्पलेक्स, आई एन ए, नई दिल्ली–110023 को **30 जून, 2015** तक भेजनी होंगी।

★ परिणामों की घोषणा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी कृति के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। निर्णय की सूचना संबंधित लेखक को दे दी जाएगी और इसे प्रेस नोट द्वारा प्रचारित भी किया जाएगा। इस संबंध में अन्य किसी भी प्रकार का पत्र–व्यवहार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

National Human Rights Commission

मानव अधिकार भवन, जी पी ओ कॉम्पलैक्स, ब्लॉक–सी, आई एन ए, नई दिल्ली–110023

Manav Adhikar Bhawan, GPO Complex, Block-C, INA, New Delhi-110023

पुरस्कार योजना के लिए नामांकन फार्म

NOMINATION FORM FOR THE AWARD SCHEME

1 पुस्तक/पांडुलिपि/अनुवाद का शीर्षक————————————————————

Title of the book/manuscript/Translation

2 प्रस्तुत कृति को क्या पहले किसी सरकारी संगठन द्वारा पुरस्कार अथवा सहायता मिली है?———

Whether the submitted work has received any award or financial assistance from any government/organisation?

3 लेखक/अनुवादक का नाम ————————————————————

Name of the Author/Translator

4 पिता/पति का नाम ————————————————————

Name of Father/Husband

5 जन्म तिथि ————————————————————

Date of Birth

6 पत्र–व्यवहार का पता————————————————————

Postal Address

7 (I) लेखक का संक्षिप्त परिचय (अलग शीट पर संलग्न करें)

Brief introduction of the Author(Attach on separate Sheet)

(II) संलग्न पुस्तक/पांडुलिपि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी कम से कम 300 शब्दों में (कृपया अलग शीट पर संलग्न करें)

Brief introduction of the book/manuscript at least in 300 words (please attach on separate sheet)

8 लेखक के दो फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)

Two Photographs of the Author (Passport Size)

9 क्या आपने पुस्तक/पांडुलिपि/अनुवाद की एक प्रति संलग्न की है?————————

Whether you have enclosed one copy of the book/manuscript?

10 अनुवाद के संबंध में मूल पुस्तक के लेखक का अनुमति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए

Certificate of permission from the writer of original book to be attached in respect of translation

हस्ताक्षर/ Signature : -------------------------

नाम व पूरा पता————————————

Name & Full Address

दूरभाष नं0/Telephone No. _____________

फैक्स नं0/Fax No. ____________________

ई–मेल/E-mail_______________________

स्थान/ Place

नोटः कृपया अपना नाम व पूरा पता साफ–साफ लिखें

Note: Please write your name and address in legible writing.

घोषणा पत्र
DECLARATION

मैं————————————————————————————आयु————————————————————

I____Age _________________________

पुत्र/पुत्री/पत्नी——

S/o, D/o, W/o____

निवासी——

R/o____

घोषणा करता/करती हूँ:

hereby declare that:

1. यह पुस्तक/पांडुलिपि/अनुवाद————————————————————————————

   This book/manuscript/Translation

   ____

   भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्वायत्तशासी संगठन में किसी पुरस्कार के लिए अथवा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए विचाराधीन नहीं है।

   Is not under consideration for any award or for any financial assistance from Govt. of India/State Govt./Autonomous Body

2. इस पुस्तक/पांडुलिपि/अनुवाद ———————————————————————————— पर पहले भारत सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संगठन द्वारा कोई पुरस्कार नहीं मिला है।

   This book/manuscript/Translation_______________ has not received any award from Govt. of India/State Govt./ Autonomous Body earlier.

हस्ताक्षर——————————————————

Signature

पूरा पता ——————————————————

Full Address________________________

दिनांक————————

Date:

स्थान—————————